IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO Regd. Office
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post By Periodical post (Press and Registration of Periodicals Act, 2023)

Www.MarwadkaMitra.in

मारवाड़ का मित्र

सहकारी आंदोलन को समर्पित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र (मारवाड़ आंचल से प्रकाशित)

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 24 | अंक 2 | सांचौर, गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | UDYAM-RJ-19-0033346 | कुल पृष्ठ - 4

एक सहकारी संस्था के कर्मचारी को प्रतिदिन 100 रुपए का कार्यवाहक भत्ता देकर बना दिया जाता है दूसरी संस्था का फिल्ड ऑफिसर

पैक्स में व्यवस्थापक और सीसीबी में ऋण पर्यवेक्षक के पद भरने की स्थिति उपेक्षित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश के सहकारिता विभाग की विभिन्न सहकारी संस्थाओं में पद भरने की स्थिति उपेक्षित बनी हुई है । यहां ऐसी अफरा-तफरी मची हुई है कि एक सहकारी संस्था के कर्मचारी को न्यूनतम कार्यवाहक भत्ता देकर दूसरी संस्था का फिल्ड ऑफिसर बना दिया जाता है । जहां प्रदेश में 4000 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के पद रिक्त पड़े हुए है । तो दूसरी ओर राज्य की 8000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां का संचालन व्यवस्थापकों को अतिरिक्त कार्यभार देकर करवाया जा रहा है । इतना ही नहीं इन व्यवस्थापकों को केंद्रीय सहकारी बैंक में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपकर, कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक तक बनाया जा रहा है । मजे की बात तो यह है कि प्रदेश के अधिकतर केंद्रीय सहकारी बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समितियां का वार्षिक निरीक्षण कैलेंडर जारी कर स्वयं व्यवस्थापक से ही उसकी ग्राम सेवा सहाकरी समिति का निरीक्षण करवाकर, निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर रहें है । एक ओर सहकारिता विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर की प्रत्येक योजनाओं के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की जवाबदेही ऋण पर्यवेक्षक में निहित की जाती है । तो दूसरी ओर ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर से प्रस्ताव प्रणाली के सहारे नियुक्त मैट्रिक पास व्यवस्थापक को केंद्रीय सहकारी बैंक की विभिन्न शाखाओं में कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक बना दिया जाता है ।

फोटो सोर्स: एआई जेनरेटेड।

पदोन्नति का नहीं प्रावधान

एक ओर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव से प्रमाणित करवाकर विभाग यह जानकारी दे रहा हैं कि व्यवस्थापक से ऋण पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नति का नियमों में कोई प्रावधान नहीं हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय सहकारी बैकों में व्यवस्थापक को उपकृत करने के लिए कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक बनाया जा रहा हैं । इस पद का आलम यह हैं कि सीसीबी बैंक प्रबंधन अपनी सुविधा अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में उनके चहेते व्यवस्थापक को कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक बनाकर उलटा संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्य बाधित करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। जबकि कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक बनने वाले व्यवस्थापक की नियोक्ता केवल पैक्स-लैम्पस होने का ढिंढोरा सहकारिता विभाग सालों-साल से पीट रहा है।

ऋण पर्यवेक्षक के 381 पद रिक्त

सहकारिता विभाग से प्राप्त आंकड़ो के मुताबिक प्रदेश की 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों में 381 ऋण पर्यवेक्षक के पद रिक्त है। जिसमें सर्वाधिक पाली में 27, जयपुर में 22, श्रीगंगानगर में 21, बाड़मेर में 19, जोधपुर में 17, हनुमानगढ़ में 14, कोटा में 9, बांरा में 9, बूंदी में 11, झालावाड़ में 13, अजमेर में 13, टोंक में 8, नागौर में 14, भीलवाड़ा में 16, दौसा में 1, सीकर में 20, झुंझुनू में 13, भरतपुर में 14, अलवर में 9, सवाई माधोपुर में 13, उदयपुर में 16, चित्तौड़गढ में 17, बांसवाड़ा में 9, डूंगरपुर में 9, जैसलमेर में 8, जालोर में 12, सिरोही में 9, बीकानेर में 9, चूरू में 9 पद ऋण पर्यवेक्षक के रिक्त पड़े है। इन पदों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को कार्यवाहक बनाया हुआ हैं ।

एक्सपर्ट व्यू

29 केंद्रीय सहकारी बैंकों को जब न्यूनतम कार्यवाहक भत्ते पर ऋण पर्यवेक्षक मिल रहे हैं । तो केंद्रीय सहकारी बैंक प्रत्येक साल लाखों रुपए का मासिक वेतन देकर स्थाई ऋण पर्यवेक्षक नहीं लगाएगी, जबकि ऋण पर्यवेक्षक से संबंधित सारे कार्य ग्राम सेवा सहकारी समितियां के स्तर के ही हैं, तो केंद्रीय सहकारी बैंकों के पास कार्यवाहक लगाकर अपनी पूंजी बचाने का इससे बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता है और विभाग द्वारा पदोन्नति का प्रावधान नहीं होने के चलते, व्यवस्थापक की सेवानिवृत्ति तक वह केवल कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक ही बनकर रह जाता है तथा उसे दैनिक न्यूनतम भत्ता मात्र 100 रुपए देकर कार्य करवाया जा रहा है ।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए फिर जारी होगा लाइसेंस

मुंबई। आरबीआई ने दो दशकों से अधिक समय के बाद शहरी सहकारी बैंकों (बीकेएस) के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रक्रिया विभिन्न नियामक जरूरतों के अधीन होगी, जिनमें न्यूनतम पूंजी सीमा 300 करोड़ रुपये होना शामिल है। 2004 से शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा रखी थी। अब इसे फिर से शुरू किया जा सकता है।

भारत टैक्सी एप से चार लाख से ज्यादा लोग जुड़े

नई दिल्लीः सहकारिता मंत्रालय की ओर से संचालित भारत टैक्सी सेवा को लोगों की मजबूत प्रतिक्रिया मिल रही है। सहकारिता मंत्रालय ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि इस एप से पिछले दो दिनों में हर रोज लगभग 40-45 हजार नए यूजर्स ने पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही एप पर चार लाख से ज्यादा यूजर्स का पंजीकरण हो गया है। मंत्रालय के अनुसार, भारत टैक्सी को मौजूदा टैक्सी चालकों के लिए एक सहकारी विकल्प के रूप में औपचारिक रूप से लांच किया गया था। यह एक पारदर्शी और ड्राइवर-फ्रेंडली प्लेटफार्म है।

राज सहकार पोर्टल के माध्यम से भेजे जाएंगे नवीन पैक्स गठन के प्रस्ताव

जयपुर । प्रदेश में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां के गठन के प्रस्ताव उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय को ई-डाक एवं मेल के माध्यम से भेजे जाते रहें है । लेकिन अब यह कार्य भी ऑनलाईन कर दिया गया है । इसके लिए सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) ने एक पत्र समस्त उप एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को जारी किया है । जिसके मुताबिक नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन माध्यम से निष्पादित करने के लिए विभाग द्वारा राज सहकारी पोर्टल पर एम पैक्स टारगेट मॉड्यूल्स बनाए गए है । इस कारण नवीन पैक्स के गठन के प्रस्ताव भविष्य में राज सहकार पोर्टल एमपैक्स टारगेट मॉड्यूल के माध्यम से भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया है ।

26 हजार 445 खातो में जीआरए के माध्यम से वितरित किया गया था ऋण

GRA व्यवस्था बंद... किसानों को नहीं मिल रहा फसली सहकारी ऋण योजना का लाभ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । कंडाके की ठंड में किसानों के हाथों की अंगुलियों में पड़ी झुर्रियां उन्हें फसली सहकारी ऋण योजना से वंचित कर रही है । इन दिनों राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना के तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियां (पैक्स) द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन गेटवे (एफआईजी) पोर्टल के माध्यम से रबी सीजन का फसली सहकारी ऋण वितरित किया जा रहा है । राजस्थान में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना का लाभ लघु एवं सीमांत किसानों तक पहुंचाने के दावे चाहे जितने भी किये जायें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. इन दिनों ब्याज मुक्त योजना का लाभ लेने लिए कड़ाके की ठंड में किसानों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है । एक तरफ राज्य सरकार फसली सहकारी ऋण योजना का लाभ पहुंचाने किसानों तक के लिए दिन-रात प्रयास करती है । तो दूसरी तरफ डिजिटलीकरण का चोला ओढ़े बैठी एक शीर्ष सहकारी संस्था ने किसानों को इस ब्याज मुक्त योजना से दूर करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी दरअसल राजस्थान की इस शीर्ष सहकारी संस्था ने करीब सात साल पहले एक फाइनेंशियल इंक्लूजन गेटवे (एफआईजी) पोर्टल विकसित कर, राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना में बायोमेट्रिक पद्धति लागू करते हुए ऋण वितरण एवं वसूली का कार्य प्रारम्भ किया अब यह ही एफआईजी पोर्टल किसानों के लिए मुसीबत बन गया है. कभी सर्वर नहीं चलने से अवधिपार होने, कभी ऋण वसूली जमा करवाने के बाद भी पुनः ऋण नहीं मिलने जैसी परेशानियां से किसान त्रस्त है । इससे न सिर्फ किसानों की, बल्कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) के व्यवस्थापकों की परेशानी भी बढ़ गई है. इधर केंद्रीय सहकारी बैंक के जिम्मेदार भी इस समस्या से भली भांति परिचित है लेकिन वो इसे शीर्ष सहकारी बैंक का मामला बताकर खुद पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं ।

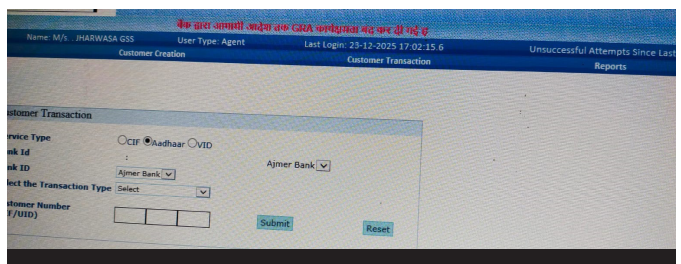

ग्रिवेस रिड्रेसल आथोरिटी व्यवस्था बंद

वर्तमान में किसानों की खरीफ वसूली होने के बाद बायोमेट्रिक नहीं हो रही है । जिससे उन्हें रबी सीजन के ऋण से वंचित होना पड़ रहा है । चूंकि किसान दिन-रात खेत कार्य करते है । तो उनके हाथों की अंगुलियों में झुर्रियां आना लाजमी है । इन दिनों यह ही झुर्रियां किसान को फसली सहकारी ऋण प्रक्रिया से पृथक कर रही है । जब एफआईजी पोर्टल लागू किया गया, तब बयोमैट्रिक नहीं होने की स्थिती में 'ग्रिवेस रिड्रेसल आथोरिटी' (जीआरए) की व्यवस्था प्रारम्भ की गई । इस व्यवस्था के तहत बायोमेट्रिक में किसी प्रकार की समस्या होने पर ऋण वितरित किया जाता है। फिलहाल राज्य में इस व्यवस्था को बंद किया हुआ है । जिससे किसानों को ऋण मिलने में खासी परेशानी हो रही है ।

26 हजार 445 खातों में जीआरए से बांटा ऋण

केंद्रीय सहकारी बैंकों में जीआरए के माध्यम से ऋण वितरण पर रोक लगाई गई है । इसको लेकर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की ओर से एक आदेश जारी किया गया है । जिसमें बताया गया है कि 32 लाख 96 हजार 523 खातों में से 26 हजार 445 खातो में जीआरए के माध्यम से ऋण वितरित किया गया है । हालांकि अब जीआरए प्रकरणों में नियमांतर्गत ऋण वितरण का शाखावार परीक्षण बैंक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करवाया जाएगा । साथ ही, किसी प्रकार की विसंगति होने की स्थिती में अपेक्स बैंक को सूचित किया जाएगा ।

127 करोड़ से अधिक का जीआरए से बांटा गया ऋण

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 26 हजार 445 खातों में 127 करोड़ से अधिक का ऋण बांटा गया । जिसमें सर्वाधिक सवाई माधोपुर सीसीबी द्वारा 4598, बाड़मेर सीसीबी द्वारा 4465, जयपुर सीसीबी द्वारा 3135, हनुमानगढ़ सीसीबी द्वारा 1695, भीलवाड़ा सीसीबी द्वारा 1624, चूरू सीसीबी द्वारा 1289, नागौर सीसीबी द्वारा 1238 तथा जोधपुर सीसीबी द्वारा 894, श्रीगंगानगर सीसीबी द्वारा 816, बांसवाड़ा सीसीबी द्वारा 711, इसी प्रकार कोटा सीसीबी द्वारा 663, बूंदी सीसीबी द्वारा 626, अलवर सीसीबी द्वारा 624, सीकर सीसीबी द्वारा 605 और झालावाड़ सीसीबी द्वारा 491, चित्तौड़गढ़ सीसीबी द्वारा 401, डूंगरपुर सीसीबी द्वारा 399, जैसलमेर सीसीबी द्वारा 378, अजमेर सीसीबी द्वारा 243, टोंक सीसीबी द्वारा 232, उदयपुर सीसीबी द्वारा 209 एवं भरतपुर सीसीबी द्वारा 197, बीकानेर सीसीबी द्वारा 187, पाली सीसीबी द्वारा 172, झुंझुनूं सीसीबी द्वारा 169, बारां सीसीबी द्वारा 143, जालोर सीसीबी द्वारा 137, दौसा सीसीबी द्वारा 101 इसके अलावा सिरोही सीसीबी द्वारा महज 3 खातों में जीआरए के माध्यम से ऋण वितरित किया गया ।

12 सहकारी समितियां में निर्मित होंगे 500 एमटी के गोदाम

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश के 8 जिलों की 10 ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं 2 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां में, राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की अनुपालना में 25 लाख रुपए की लागत से 500 एमटी गोदाम का निर्माण करवाया जाएगा । इसके लिए सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार श्रीमती आनन्दी ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। जिसके अनुसार दौसा जिले की खोहरा मुल्ला, भाण्डारेज, श्रीगंगानगर जिले की रजियासर स्टेशन, बून्दी जिले की छावडियों का नयागांव, रडी, गादेगाल, खैरथल तिजारा जिले की जकोपुर, भीलवाड़ा की देवली, सवाई माधोपुर की रिवाली, बीकानेर जिले की दाउदसर ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं ब्यावर जिले की बदनौर, विजयनगर क्रय-विक्रय सहकारी समिति में 500 एमटी के गोदाम का निर्माण् करवाया जाएगा । साथ ही गोदाम निर्माण के लिए अनुदानित राशि 25 लाख रुपए में 10 प्रतिशत राशि तक का वेरियेशन अनुमत होगा । हालांकि, अधिक वेरियशन होने की स्थिती में सीसीबी और अतिरिक्त रजिस्ट्रार खंड की संयुक्त अनुशंसा मय औचित्यपूर्ण टिप्पणी सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय भिजवाने के पश्चात, पंजीयक से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है ।

केंद्रीय सहकारी बैंकों का मात्र एक एटीएम संचालित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों से करीब 95 लाख ग्राहक जुड़े हुए है और यह 29 केंद्रीय सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त कर संचालित हो रहें हैं । हालांकि इन 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा राज्यभर में करीब 191 एटीएम मशीन स्थापित की गई । लेकिन इन में से सिर्फ एक एटीएम ही वर्तमान में संचालित है । जो कि चूरू केंद्रीय सहकारी बैंक की है । दरअसल, चित्तौड़गढ़ विधायक चन्द्रभान सिंह चौहान ने राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक और 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों की एटीएम मशीनों को लेकर तारांकित प्रश्न किया । जिसका सहकारिता विभाग द्वारा हाल ही में जवाब दिया गया है । इसके अनुसार राज्य के 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 191 ऑन साइट एटीएम स्थापित किए गए और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा 12 एटीएम स्थापित किए गए । विभाग के अनुसार केंद्रीय सहकारी बैंकों को स्वीकृत 285 एटीएम में से 191 ऑन साईट एटीएम वर्ष 2016-17 में स्थापित किये गए थे, जबकि आउट ऑफ सपोर्ट हो जाने के कारण इन एटीएम मशीनों को ठीक नहीं करवाया जा सकता है । विभाग ने लिखित में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडानुसार एवं केंद्रीय सहकारी बैंक की मांग अनुसार नवीन एटीएम मशीन प्रतिस्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

अपेक्स बैंक के 12 एटीएम अभी भी संचालित

विधानसभा में सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के 12 एटीएम वर्तमान में भी संचालित है, जबकि इन 12 एटीएम मशीनों की स्थापना वर्ष 2012-13 में की गई थी । दूसरी ओर केंद्रीय सहकारी बैंकों के 191 एटीएम मशीनों की स्थापना 2016-17 में की गई, फिर भी मात्र एक एटीएम मशीन ही संचालित है । हालांकि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के 10 एटीएम राजधानी क्षेत्र में और एक एटीएम मशीन जोधपुर स्थित सहकार भवन में और एक एटीएम मशीन उदयपुर के सेक्टर 11 में संचालित है ।

सहकारी बैंकों के 95 लाख 24 हजार से ज्यादा ग्राहक

विधायक के सवाल पर सहकारिता विभाग ने बताया कि 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों से प्रत्यक्ष तौर पर 95 लाख 24 हजार ग्राहक जुड़े हुए है । इनमें से 94 लाख 81 हजार ग्राहक जमा खाते के जरिए और 43 हजार ग्राहक ऋण खाते के माध्यम से जुड़े हुए है । जबकि विधायक द्वारा नाबार्ड से सहायता लेकर एटीएम संचालित करने का भी सवाल अंकित करवाया गया । जिसके प्रतिउत्तर में सहकारिता विभाग ने बताया कि नाबार्ड द्वारा एटीएम मशीन संचालन करने में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है और एटीएम मशीनों का संचालन केंद्रीय सहकारी बैंकों के वित्तीय संसाधनों से ही किया गया है ।

केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजना के तहत मिली 30 करोड़ की राशि

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य की 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत 30 करोड़ की राशि जारी की गई है । इसके लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के महाप्रबंधक (परिचालन) पी.के.नाग ने एडवाईज जारी की है । जिसके अनुसार राज्य के 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों से 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की अवधि में प्राप्त क्लेमों के क्रम में, यह राशि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में संबंधित सीसीबी के संधारित चालू खाते में ट्रेजरी के माध्यम से सीधे तौर पर जमा की गई है । इसी तरह केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में वितरित फसली ऋणों के क्रम में दो माह पूर्व भारत सरकार द्वारा देय 1.50 प्रतिशत ब्याज सहायता के तहत 124 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई थी । हालांकि क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत सर्वाधिक राशि जयपुर सीसीबी को 2 करोड़ 24 लाख एवं न्यूनतम राशि जैसलमेर सीसीबी को 31 लाख रुपए मिली है ।

केंद्रीय सहकारी बैंकों के सामने पूंजी का संकट

यकीनन देश में सहकार से समृद्धि लाने और विकसित भारत-2047 का निर्माण करने के लिए सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में पैक्स और केंद्रीय सहकारी बैंक रेवड़ी कल्चर के घेरे में आकर, अपनी साख और वित्तीय धुरी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है इन केंद्रीय सहकारी बैंकों की करीब 1400 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार में बकाया चल रही है, जो कर्ज माफी के विलंब भुगतान पर ब्याज, ब्याज मुक्त योजना एवं क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि है । अहम बात यह है कि प्रदेश की 29 सीसीबी राज्यभर में 1 करोड़ से अधिक ग्राहकों से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई है और ब्याज मुक्त योजना के जरिए करीब 38 लाख ऋणी किसान भी इन ही सीसीबी के केसीसी खाताधारक है । राजस्थान में सहकारिता संरचना 'एक सब के लिए और सब एक के लिए' ध्येय वाक्य के साथ काम करती है । यह राज्य ही नहीं बल्कि देश की सबसे पुरानी और भरोसेमंद वित्तीय व्यवस्था है। जहां हर सदस्य की गारंटी दूसरा सदस्य देता है। यह सामुदायिक भरोसा उन सदस्यों के लिए अधिक उपयोगी है, जिन्हें सरकार की फसली सहकारी ऋण योजना का लाभ लेना होता है । फिर भी फसली सहकारी ऋण योजना का लाभ सदस्यों को केंद्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय सक्षमता के अनुरूप दिया जाता है। ऐसे में जब केंद्रीय सहकारी बैंकों पर पूंजी का वित्तीय संकट मंडरा रहा है । तो उनसे जुड़े 1 करोड़ ग्राहकों और केसीसी धारकों का हित प्रभावित होना स्वाभाविक है । वर्तमान में 29 में से 5 केंद्रीय सहकारी बैंकों को नाबार्ड से कृषि ऋण पुनर्वित्त नहीं पा रहा है और 11 केंद्रीय सहकारी बैंक गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक संचित हानि में चले गए है । विचारणीय तथ्य हैं कि कर्ज माफी की बकाया 765 करोड़ की राशि का प्रावधान करने की जानकारी होने के बावजूद सहकारिता के मुख्यों की खामोशी केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए खतरे का संकेत है । वही लंबे समय तक सरकार से करोड़ो की राशि बकाया होने का दुष्परिणाम जल्द ही समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी भुगतना पड़ सकता है । खासतौर पर बकाया 1400 करोड़ रुपए की राशि में से 755.99 करोड़ की राशि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के पीडी खाते में डालकर, उसके आहरण पर प्रतिबंध लगाना 'दो-टूक नीति' को स्पष्ट दर्शा रहा है । अब सवाल यह है कि क्या सरकार बकाया 625.56 करोड़ की राशि भी पीडी खाते में डालकर उसके आहरण पर प्रतिबंध लगा देगी? क्या सरकार पीडी खाते से आहरण पर प्रतिबंध को हटाकर 755.99 करोड़ की राशि सहकारी बैंकों को जारी करेगी ? सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिती की जानकारी होने के बावजूद सहकारिता के मुख्या की चुप्पी राजस्थान में सहकारी आंदोलन के त्रि-स्तरीय ढांचे की इन दो सहकारी संस्था यथा पैक्स और सीसीबी को भविष्य में किस दिशा की ओर लेकर जाएगी ? इन सारे सवालों के जवाब मिलना संभव नहीं है । क्योंकि सरकार और सहकारिता विभाग की बागडोर थामे प्रशासनिक अधिकारी इन सवालों पर तवज्जोह ही नहीं देना चाहते है। आखिर में महज उम्मीद ही लगाई जा सकती है कि सहकारी बैंको के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार कवायद करेगी...।

राजस्थान में 55 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर

कृषि, पोषण और पर्यावरण का एकीकृत दृष्टिकोण

"भारत के सपने को साकार करने के संकल्प के साथ पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान- 2047 विजन पेश किया है। राजस्थान में 55 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और इसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 26.5 प्रतिशत योगदान है। इसलिए, राजस्थान का विकास कृषि की प्रगति के बगैर संभव नहीं है।

देश के विकसित भारत के सपने को साकार करने के संकल्प के साथ पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान-2047 विजन पेश किया है। राजस्थान में 55 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और इसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 26.5 प्रतिशत योगदान है। इसलिए, राजस्थान का विकास कृषि की प्रगति के बगैर संभव नहीं है। इसे चिन्हित करते हुए राज्य सरकार ने किसानों की आय सुरक्षा, जल और मिट्टी के संतुलित उपयोग के साथ पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कृषि-खाद्य प्रणाली दृष्टिकोण को अपनाया है। कृषि-खाद्य प्रणाली दृष्टिकोण फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण, उपभोग और अपशिष्ट प्रबंधन को जोड़ती है और पशुपालन, पोषण, जल व पर्यावरण जैसे खेती से संबंधित क्षेत्रों को एक साथ देखने का नजरिया देती है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, यह दृष्टिकोण सभी हितधारकों के लिए कृषि को लाभदायक, पर्यावरण को बेहतर बना सकता है और पौष्टिक भोजन भी सुनिश्चित कर सकता है। इसे जमीन पर उतारने और सतत कृषि परिवर्तन में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रभावी, एकीकृत और दूरदर्शी योजनाएं बनाना बहुत जरूरी है। सूखा और बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि के कारण कृषि में अनिश्चितता बढ़ रही है। साथ में, इसे सीमित मशीनीकरण, श्रमिकों की घटती उपलब्धता और कृषि में युवाओं की घटती भागीदारी

जैसी चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है। एक तरफ बिजली पर सब्सिडी के कारण सिंचाई की उपलब्धता बढ़ी है, दूसरी तरफ राज्य के कई जिलों में भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में कई और प्राथमिकताएं उभर रही हैं। सौर ऊर्जा, दुर्लभ धातुओं के खनन और शहरीकरण को मिलता प्रोत्साहन यह संकेत देता है कि खेती भूमि पर दबाव बढ़ सकता है। जलवायु परिवर्तन पर राजस्थान की राज्य कार्य योजना चेताती है कि घरेलू खपत बढ़ने के कारण सिंचाई के लिए 2050 तक भूजल की उपलब्धता 85 प्रतिशत से घटकर 70 प्रतिशत हो सकती है। ऐसे में, आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र के सामने आय में गिरावट, खाद्य उत्पादन में कमी और पौष्टिक आहार तक पहुंच बाधित होने जैसी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, जिनके समाधान के लिए दीर्घकालिक और विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हुए नीतियां बनाने की जरूरत है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर ने कृषि परिवर्तन की रूपरेखा बनाने और अपनाने के लिए राजस्थान सरकार के साथ भागीदारी की है। यह रूपरेखा प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देती है आजीविका बढ़ाने के लिए उत्पादन और उत्पादकता को सतत रूप से अधिकतम बनानाय मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाना जल का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना, आहार विविधता के आधार पर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, और कृषि योजना में जलवायु अनुकूलन लाना व ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाना। विकसित राजस्थान /2047 विजन में अपनाए गए कृषि खाद्य प्रणाली विजन को कृषि प्रबंधन में शामिल करने के लिए राजस्थान को एक कार्य योजना बनाने की जरूरत है, जिसमें ये उपाय सहायक हो सकते हैं। राज्य को सामंजस्यपूर्ण नीति-निर्माण का तंत्र बनाने के लिए अंतर विभागीय तालमेल लाना होगा। सीईईडब्ल्यू के अध्ययन में सामने आया है कि राजस्थान में सरकारी विभाग अक्सर अलग-थलग रहकर काम करते हैं, जिससे कृषि से संबंधित नीतियां प्रभावी नहीं रह पाती। इसे ओडिशा की तरह क्लाइमेट रिजिलियंस सेल, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अंतर विभागीय नियोजन समिति, जैसे कदम से दूर किया जा सकता है। ओडिशा में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बना यह मॉडल जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए कृषि से संबंधित सभी विभागों, जैसे जल संसाधन, कृषि, मत्स्य पालन, पशु संसाधन, वित्त और पंचायती राज, को जोड़ने में सफल रहा है। राज्य को रियल टाइम डेटा डैशबोर्ड बनाना चाहिए, जो कृषि, पानी, मिट्टी और स्वास्थ्य की सूचनाएं जुटा सके। इससे नीति निर्माताओं को जोखिम का अनुमान लगाने, नीतिगत तालमेल लाने और कृषि नीतियों के अप्रत्याशित परिणामों की निगरानी करने में मदद मिलेगी। जैसे राजस्थान ने जल उपयोग की निगरानी के लिए स्टेट वॉटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बनाया है, जो सभी विभागों के जल प्रबंधन से जुड़े रियल टाइम आंकड़े जुटाता है, वैसे ही कृषि क्षेत्र के लिए भी एक डेटा डैशबोर्ड बनाया जा सकता है। कृषि खाद्य प्रणाली को जमीन पर उतारने के लिए आगामी 10-20 वर्षों को ध्यान में रखकर नीति निर्माण करना होगा। ऐसा आकलन सरकार को उभरती चुनौतियों और संभावित अवसरों की पहले से पहचान करके सतत फैसले करने में सक्षम बनाएगा। वर्तमान में शोध के ऐसे कई उपाय सामने आए हैं, जो भविष्य के बदवालों को समझकर सबूत और जमीनी अनुभव के आधार पर नीतियों को दिशा देसकते हैं।

- गुरसिमर सिंह गुलाटी, डॉ. चंदन झा
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

सहकारिता सेवा के तीन अधिकारियों का तबादला

सीनियर की रवानगी कर जूनियर को सौंपी कमान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश के सहकारिता विभाग में छिटपुट तबादलों का सिलसिला जारी रहा है । एक ओर नए साल के आगमन के साथ ही राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में नए प्रबंध निदेशक का भी आगमन हुआ है । तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री के गृह जिले में स्थाई प्रबंध निदेशक का बांट जो रही, भरतपुर केंद्रीय सहकारी बैंक को भी वर्षो बाद स्थाई प्रबंध निदेशक मिला है । लेकिन इस सीसीबी प्रबंध निदेशक पदस्थापन को लेकर 'फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया' कहीं नजर नहीं आया । जबकि विभाग ने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक से सीनियर की रवानगी कर जूनियर को उसकी कमान सौंप दी है । इस ही आशय का आदेश सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा की ओर से जारी किया गया है । जिसके अनुसार, राज्य सहकारिता सेवा के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सी. स्केल) के अधिकारी संजय पाठक का राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक से राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसेम) निदेशक पद पर स्थानांतरण किया गया है और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक पद की कमान अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी रणजीतसिंह चुंडावत को सौंपी गई है । साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले में स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक भरतपुर में प्रबंध निदेशक पद की कमान राज्य सहकारिता सेवा के उप रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी नरेश शुक्ला को सौंपी गई है । गौरतलब हैं कि राज्य सहकारिता सेवा के अधिकारी संजय पाठक को राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से मंजूरी 14 फरवरी 2025 को मिल गई थी । यह मंजूरी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56, सहपठित धारा 35ख(1)(ख) के अंतर्गत प्रदान की गई थी ।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर का पद अतिरिक्त कार्यभार के सहारे...

जोधपुर खंड में विभाग के अधिकारियों को बेमेल अतिरिक्त कार्यभार दिया जा रहा है । इस ही कड़ी में जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक अनिल विश्नोई को, जोधपुर से 200 किलोमीटर दूर स्थित

बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है । साथ ही पाली केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक प्रशांत कल्ला को, पाली से 80 किमी दूर स्थित जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार में महाप्रबंधक के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है । हालांकि अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर का भी पद पिछले तीन माह से रिक्त चल रहा है । यहां पदस्थ शुद्धोधन उज्ज्वल को विभाग ने 13 अक्टूबंर को एपीओ कर, जोधपुर में ही वर्ष 2010 से जमे नागरिक सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक देवेंद्र अमरावत को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा हुआ है ।

गिव-अप अभियान की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ी, अपात्र लाभार्थी हटा सकेंगे अपना नाम

जालोर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों से नाम पृथक करवाने के लिए चलाए जा रहे 'गिव-अप अभियान' की अवधि को 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ाया गया है। जिला रोजगार अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह निर्धारित प्रावधानानुसार गेहूँ का वितरण किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सक्षम व्यक्तियों की ओर से स्वेच्छा से नाम पृथक करवाने के लिए 1 नवम्बर, 2024 को शुरू हुए गिव अप अभियान की अवधि 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ाई गई है। यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 28 फरवरी, 2026 तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाए जाते हैं तो उसके पश्चात् विभाग द्वारा अभियान चलाया जायेगा। अभियान में नाम स्वेच्छा से नाम पृथक नहीं करवाने वाले लाभार्थियों के विरूद्ध खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

पैक्स सहकारी व्यवस्था की रीढ़ – डॉ. भूटानी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । "पैक्स सहकारी व्यवस्था की रीढ़ है, इनके कम्प्यूटरीकरण व डिजिटलीकरण से पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी।"यह वाक्य सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ आशीष कुमार भूटानी ने कहा है । दरअसल, सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को पारंपरिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर एक मजबूत, पेशेवर और व्यावसायिक मॉडल के रूप में विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में हुई गहन चर्चाओं, प्रजेंटेशन और फीडबैक सत्रों को अत्यंत उपयोगी बताया। सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने सहकारी समितियों में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत नियमों के सरलीकरण, सदस्यता बढ़ाने, बेस्ट प्रेक्टिसेज के आदान-प्रदान पर जोर देते हुए 'भारत टैक्सी' जैसी नई पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता के समग्र विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर टीम भावना से कार्य करना होगा। मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ जैन ने सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए नई ऊर्जा और उत्साह से कार्य करने का आह्वान किया।

'सहकार से समृद्धि - पैक्स अहैड' सैशन

इससे पूर्व कॉन्फ्रेंस के द्वितीय दिन विभिन्न तकनीकी एवं विषयगत सत्रों का आयोजन हुआ, जिनमें पैक्स एवं सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर गहन विचार-विमर्श किया गया। 'सहकार से समृद्धि - पैक्स अहैड' सैशन में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को सशक्त एवं पुनर्जीवित करने में सहकारी बैंकों की भूमिका, कैशलेश पैक्स, सहकारिता स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिला-विशिष्ट व्यवसाय योजनाएं, मॉडल सहकारी ग्राम एवं सदस्यता अभियान आदि पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

निमोद एवं रामगढ़ पैक्स के कार्यों का किया उल्लेख

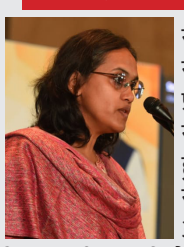

सत्र में सहकारिता विभाग, राजस्थान की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार श्रीमती आनन्दी ने अपने प्रस्तुतीकरण में निमोद एवं रामगढ़ सहकारी समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए राज्य में पैक्स सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। सत्र में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ ही नाबार्ड और एफसीआई की ओर से भी प्रस्तुतीकरण हुआ।

सहकारी समितियों का भ्रमण कर जानकारी प्राप्त की

एक अन्य सत्र में सफल सहकारिताओं के साथ सहकार संवाद का आयोजन हुआ, जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य एवं डेयरी समितियों के नवाचारों, सफलता की कहानियों एवं भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण हुए। सामूहिकताओं के मध्य सहकार विषयक एक सत्र में स्वयं सहायता समूहों एवं एफपीओ को पैक्स के साथ एकीकृत करने, राज्यों द्वारा माइक्रो एटीएम एवं रूपे किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण तथा सदस्यता अभियान से जुड़ी पहलों पर चर्चा की गई। साथ ही, एनसीडीसी की सहकारिता प्रोत्साहन योजनाओं तथा राज्यों से अपेक्षाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण हुआ। कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद डेलीगेट्स ने उदयपुर एवं राजसमंद जिले की विभिन्न सहकारी समितियों का भ्रमण कर जानकारी प्राप्त की।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंगांकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/-☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

केंद्रीय सहकारी बैंकों की करीब 1400 करोड़ की राशि बकाया : सहकारी बैंकों को नहीं मिल रही पीडी खाते में पड़ी 755.99 करोड़ की राशि

नाबार्ड से दखल का अनुरोध : कर्ज माफी के विलंब भुगतान पेटे लंबे समय से बकाया 765 करोड़ रूपए

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में कृषक ऋण माफी योजना लाकर, प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियां से अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की ऋण माफी की । जिसके बाद 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों को विलंब भुगतान पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की भी घोषणा की । जिसके उपरांत 23 अप्रैल 2025 तक ब्याज पेटे 1377 करोड़ की राशि बनी, जिसमें से 611 करोड़ की राशि का सरकार स्तर से पूर्व में भुगतान किया जा चुका हैं । हालांकि 765 करोड़ रुपए बकाया हैं, जो केंद्रीय सहकारी बैंकों को समय पर नहीं मिलने से यह राशि उनके ही सिर का बोझ बन गई हैं । क्योकि पिछले कई सालों से केंद्रीय सहकारी बैंकों की लेखा पुस्तिका में उस राशि को "राज्य सरकार से प्राप्य" मद में दर्शाया जा रहा था । तो भारतीय रिजर्व बैंक ने "राज्य सरकार से प्राप्य" मद की राशि को लेकर 31 दिसंबर 2024 को एक परिपत्र जारी कर, केंद्रीय सहकारी बैंकों को इस मद में दर्शाई राशि का 31 मार्च 2025 तक फिजिकली प्राप्त नहीं होने पर बैकों से शत-प्रतिशत प्रावधान करने का स्पष्ट निर्देश दिया । जिसके उपरांत बैंको को अपने वित्तीय संसाधनों से बकाया राशि का प्रावधान करना पड़ा हैं। हालांकि इस प्रावधान से प्रदेश के अजमेर, अलवर, बाडमेर, भरतपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही एवं उदयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक संचित हानि में आ गई है। अब इस स्थिती को लेकर सहकार नेता सूरजभानसिंह ने केंद्र की नोडल बैंक (एजेंसी) के रूप में नाबार्ड की ओर रुख किया है । दरअसल, सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा के साथ सचिव भंवर बोसाना, अध्यक्ष मुकेश कुमार पिपलीवाल ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) रवि बाबू से मुलाकात की । उन्होने बकाया 765 करोड़ रुपए की राशि को लेकर केंद्र की नोडल बैंक (एजेंसी) के रूप मे राज्य सरकार को पत्र लिखने का अनुरोध किया है । जिस पर नाबार्ड सीजीएम ने राज्य सरकार के शीर्ष स्तर के साथ वार्ता कर पत्र लिखने की सहमति प्रदान की है ।

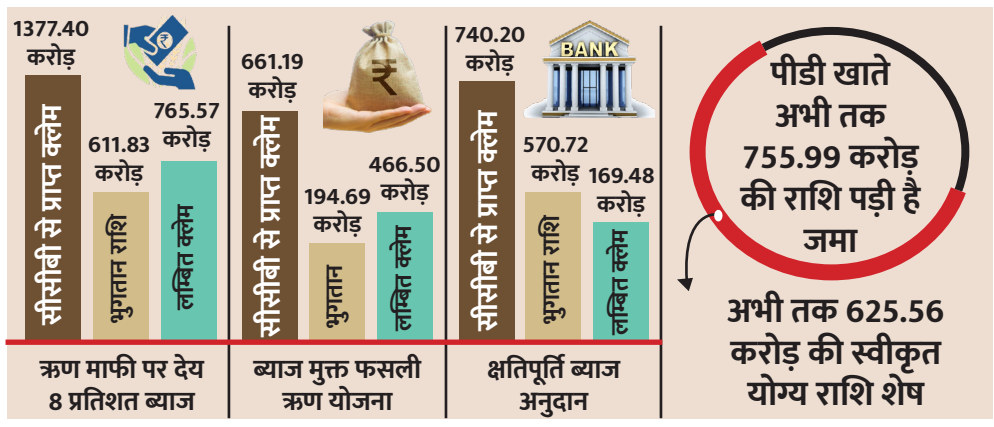

सहकारी बैंकों की स्थिती से आरबीआई को अवगत कराएंगे

आरबीआई के आदेश पर केंद्रीय सहकारी बैंकों ने अमल करते हुए "राज्य सरकार से प्राप्य" मद में दर्शाई बकाया राशि का प्रावधान किया । जिसके बाद केंद्रीय सहकारी बैंकों की हालात यथा हानि, सीआरएआर, पुनर्वित्त की स्थिति पर सहकार नेता ने नाबार्ड सीजीएम को अवगत कराया । जिस पर, सीजीएम रवि बाबू द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को इस स्थिती से अवगत कराने की बात कही गई । साथ ही आमेरा द्वारा सीसीबी में योग्य एवं पात्र पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक लगाने की मांग रखी गई । तो सीजीएम ने बताया कि स्टेट लेवल टास्क फोर्स (एसएलटीएफ) बैठक में पीसीएस-आरसीएस के चर्चा की जाती है । लेकिन अब आरबीआई को भी सूचित किया जाएगा । उन्होने कहा कि प्रबंधकीय अकुशलता के कारण ही सहकारी बैंक आर्थिक तौर से कमजोर हो रहें हैं ।

सीजीएम ने पैक्स के काम को सराहा और सीसीबी पर निराशा व्यक्त की

नाबार्ड सीजीएम और सहकार नेता के मध्य लंबी वार्ता चली । जिसमें सीजीएम ने कोटा और अजमेर जिले में पिछले दिनों सीसीबी और पैक्स के विजिट के ऑब्जरवेशन को भी साझा किया और कुछ पैक्स के काम को सराहा और सीसीबी की दृष्टि से कुछ निराशा व्यक्त की । इसके अलावा, सहकार नेता सहकारी भूमि विकास बैंकों के आर्थिक पुनरुद्धार में नाबार्ड द्वारा सकारात्मक सहयोग करने एवं नाबार्ड के स्तर से रोकी हुई पुनर्वित्त सुविधा जारी करने की भी मांग रखी । साथ ही ओटीएस योजना में दिसम्बर तक प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि अब तक इस योजना के तहत 297 करोड़ की वसूली की गई है । जिसकी सीजीएम ने सराहना करते हुए ब्रीफ नोट भी मांगा, ताकि नाबार्ड मुख्यालय को भी पीएलडीबी पुनर्वित्त जारी करवाने की मांग से अवगत कराकर, पैरवी की जा सकें ।

31 मार्च 2025 की स्थिति अनुसार, 5 सीसीबी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वांछित स्तर 9 प्रतिशत से कम हुआ है जिसके परिणामस्वरुप जैसलमेर, पाली, नागौर, भरतपुर एवं अवलर सीसीबी को नाबार्ड से कृषि ऋण पुर्नवित्त नहीं मिल पा रहा है। योजनाओं के लम्बित क्लेम राशि सीसीबी को शीघ्र जारी नहीं की जाती है तो ओर अन्य सीसीबी के सीआरएआर का स्तर भी निर्धारित 9 प्रतिशत से कम हो जाने की पूर्ण संभावना है एवं कृषि ऋण पुर्नवित्त पर रोक लगने से प्रदेश का अल्पकालीन साख चक्र बाधित हो सकता है।

-सूरजभानसिंह आमेरा सहकार नेता

राजस्थान सहकारी बैंक्स अधिकारी एसोसिएशन यूनिट बारां के चुनाव संपन्न, दीनदयाल मीणा बने अध्यक्ष

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

कोटा । संभाग के बारां जिले में स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों के संगठन, अखिल राजस्थान सहकारी बैंक्स अधिकारी एसोसिएशन एवं राजस्थान सहकारी बैंक कर्मचारी संघ यूनिट बारां के चुनाव लोकतांत्रिक रीति से प्रत्यक्ष मतदान पद्धति के तहत संपन्न करवाए गए । जिसमें अध्यक्ष पद पर दीनदयाल मीणा, उपाध्यक्ष पद पर हेमंत कुमार, सचिव पद पर रामरुप मीणा एवं कोषाध्यक्ष पद पर मुरारीलाल शर्मा निर्वाचित हुए । इस बारे में जानकारी देते हुए बैंक यूनिट के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ प्रबंधक रामरूप मीणा ने बताया कि इस बार यूनिट कार्यकारिणी के चुनाव नामांकन रहित उम्मीदवार वाली इस अनूठी एवं अभूतपूर्व निर्वाचन पद्धति से पूर्ण निष्पक्षता एवं शांति के साथ सम्पन्न करवाए गए।

सहकार दुर्घटना बीमा योजना के तहत दो पीड़ित परिवारों को दी 20 लाख रुपये सहायता

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बालोतरा । राज्य सरकार की सहकार दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में मेली ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत सहकार दुर्घटना बीमा योजना के तहत दो लाभार्थियों को बीमा क्लेम राशि का वितरण सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल द्वारा किया गया । साथ ही विधायक ने आमजन से रूबरू होकर जनसमस्याएं सुनी। दरअसल मेली ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों का सहकार दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा किया जाता है, जिसके अंतर्गत दुर्घटना की स्थिति में बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। विधायक हमीर सिंह भायल ने सहकार दुर्घटना बीमा योजना के तहत भवरी देवी पत्नी जोग सिंह एवं कानकी देवी पत्नी बाबूलाल को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार हर पीड़ित व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्यधारा से जोड़ा जाए और उसे योजनाओं का पूरा लाभ मिले। उन्होंने किसानों एवं आमजन से अपील की कि वे सहकारिता विभाग से निरंतर जुड़े रहें, समय पर ऋण लें और ऋण चुकता करें, ताकि सभी को सहकारी बीमा योजनाओं का लाभ मिल सके। श्री भायल ने यह भी कहा कि सिवाना क्षेत्र में सरकार द्वारा व्यापक विकास कार्य कराए गए हैं और आने वाले बजट में भी सिवाना क्षेत्र अग्रणी रहेगा, ऐसा उन्हें पूरा विश्वास है। इस दौरान बीसीसीबी सिवाना शाखा प्रबंधक जोगराजसिंह, ऋण पर्यवेक्षक पीरसिंह राजपुरोहित, व्यवस्थापक पारसमल, समिति अध्यक्ष सहित गांव के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही।

आरबीआई ने संशोधनों के मसौदे पर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए

सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए कूलिंग-ऑफ अवधि पर मसौदा जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अर्बन तथा रूरल कोऑपरेटिव बैंकों के लिए शासन व्यवस्था से संबंधित ढांचे में प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे जारी करते हुए, इन पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, किसी सहकारी बैंक के निदेशक द्वारा अधिकतम दस वर्ष के निरंतर कार्यकाल की अवधि पूरी करने के बाद, उसी बैंक के निदेशक मंडल में पुनर्नियुक्ति के लिए कम से कम तीन वर्ष की अनिवार्य विश्राम अवधि (कूलिंग-ऑफ अवधि) निर्धारित की जाएगी। यह प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए (2ए)(प) सहपठित धारा 56 के अंतर्गत निर्धारित कार्यकाल सीमा के अनुरूप है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए निदेशकों के निरंतर कार्यकाल की अधिकतम सीमा 29 जून 2020 से लागू है, जबकि राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए यह प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हुआ। इसके बाद बैंकिंग क़ानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से निदेशकों के अधिकतम कार्यकाल को आठ वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया, जो 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ। केंद्रीय बैंक के अनुसार, कुछ मामलों में यह देखा गया है कि निदेशक अल्पकालिक अवधि के लिए इस्तीफा देकर पुनः चुनाव या सह-नामांकन के माध्यम से बोर्ड में स्थान प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वे कानूनी रूप से निर्धारित कार्यकाल सीमा से अधिक समय तक निदेशक बने रहते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौजूदा शासन निर्देश, 2025 में नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव किया है।

तीन वर्ष की अनिवार्य विश्राम अवधि

मसौदा निर्देशों के अनुसार, जिस निदेशक ने किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में दस वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा कर लिया है, वह तीन वर्ष की अनिवार्य विश्राम अवधि पूरी किए बिना उसी बैंक के निदेशक मंडल में पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। इस अवधि के दौरान संबंधित निदेशक उस बैंक से सदस्य या ग्राहक के अतिरिक्त किसी भी अन्य क्षमता में संबद्ध नहीं रह सकेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध उसे किसी अन्य बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगा।

30 जनवरी 2026 तक सुझाव आमंत्रित

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि निरंतर कार्यकाल की गणना के लिए तीन वर्ष से कम अवधि के अंतराल को जोड़कर देखा जाएगा, जबकि तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के अंतराल से पूर्व की सेवा को निरंतर कार्यकाल में शामिल नहीं किया जाएगा। इन दोनों मसौदा संशोधन निर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2026 तक सार्वजनिक सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं। इच्छुक पक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट टू रेगुलेट' अनुभाग के माध्यम से अथवा विनियमन विभाग (शासन अनुभाग), भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को डाक या ई-मेल के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।

भेरूपुरा ओझा सहकारी समिति में उचित मूल्य दुकान का शुभारंभ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

कोटा । संभाग के बूंदी जिले की भेरुपुरा ओझा ग्राम सेवा सहकारी समिति में उचित मूल्य पर राशन सामग्री का वितरण करने के लिए उचित मूल्य दुकान का शुभारंभ किया गया । यह दुकान राज्य सरकार द्वारा सहकारिता को सशक्त बनाने की दिशा में ग्राम सेवा सहकारी समिति को आवंटित की गई है । सहकारी समिति के अध्यक्ष पवन बैरागी ने कहा कि उचित मूल्य दुकान के संचालन से ग्रामवासियों को पारदर्शी, समयबद्ध और सुलभ रूप से राशन सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इससे सहकारी समिति की भूमिका और अधिक मजबूत होगी तथा ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इस दौरान उपाध्यक्ष श्रीमती संजू बाई मीणा, समिति संचालक हनुमान बैरागी, चेतराम मीणा, हेमराज सैनी, रामदयाल कारपेंटर, प्रेम बाई सैनी, जगदीश शर्मा, महावीर मेघवाल, रामबाबू सैनी, आनंदीलाल सैनी, राकेश सैनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

सहकारी समिति हित में कई निर्णय लिए

उचित मूल्य दुकान का शुभारंभ करने के उपरांत ग्राम सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल की बैठक का आयोजन किया यगा । जिसमें समिति के हित में जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। आने वाले समय में समिति द्वारा कृषि, उपभोक्ता हित और ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

मृतक किसान की पत्नी को सुपुर्द किया गया 10 लाख रुपए का चेक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक की कृषि उपज मंडी शाखा अंतर्गत संचालित पन्नोंणयों का तला ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऋणी किसान सदस्य देदाराम सुथार की वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी । वही पन्नोंणयों का तला ग्राम सेवा सहकारी समिति से दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रीमियम कटा होने के चलते उनकी पत्नी श्रीमती चंपा देवी को केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा कृषि उपज मंडी के शाखा प्रबंधक मोतीलाल सुथार की ओर से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए का चेक सुपुर्द किया गया । इस दौरान वरिष्ठ प्रबंधक राजेश सिंह, शाखा के सहायक शाखा प्रबंधक दिव्यांश मटोलिया, बैंकिंग सहायक गौरव पारीक, ऋण पर्यवेक्षक चेनाराम हुड्डा, करना राम चौधरी आदि मौजूद रहें ।

पैक्स कंप्यूटराईजेशन को गंभीरता से लेने और अवधिपार व एनपीए ऋणों की सख्त वसूली के दिए निर्देश

सीसीबी के शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक आयोजित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । जिले में स्थित बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक की बालोतरा एवं बाड़मेर जिले में संचालित समस्त शाखाओं के शाखा प्रबंधकों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया । यह बैठक प्रबंध निदेशक अनिल विश्नोई द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दूसरे दिन आयोजित की गई । इसको लेकर सीसीबी मुख्य प्रबंधक अमराराम चौधरी ने बताया कि 5 जनवरी को बाड़मेर जिले की शाखाओं तथा 6 जनवरी को बालोतरा जिले के शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें अवधिपार व एनपीए ऋणों की वसूली को गंभीरता से लेने के साथ-साथ अमानतों के लक्ष्यों की पूर्ति, कासा अमानतों का स्तर बढ़ाने, ऋण विविधीकरण करने, केवाईसी व सीकेवाईसी मानदंडों की पालना करने तथा पैक्स कंप्यूटरीकरण को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। इस दौरान बैंक अधिशाषी अधिकारी हरिराम पूनिया, मुख्य प्रबंधक भंवरलाल बिश्नोई, वरिष्ठ प्रबंधक राजेश सिंह व जगदीश जागरीवाल भी उपस्थित रहे।

सभी शाखा प्रबंधकों को दिए लक्ष्य पूर्ति के निर्देश

सीसीबी प्रबंध निदेशक अनिल बिश्नोई ने चालू वित्त वर्ष के तीन त्रैमास समाप्त होने के उपरांत भी वसूली की कमजोर स्थिति पर असंतोषजनक जाहिर करते हुए वसूली में सुधार करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही, कहा कि अवधिपार व एनपीए ऋणों का अत्यधिक स्तर बैंक की सेहत के लिए ठीक नहीं है ।

पैक्स कंप्यूटरीकरण को गंभीरता से लिया जाए

पैक्स कंप्यूटरीकरण में प्रथम चरण में चयनित 397 पैक्स में से नाम मात्र पैक्स का ही E-PACS होना इसके प्रति गंभीर नहीं होना दर्शाता है। जिन समितियों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या जो नियमित प्रविष्टियां कर Day-End नहीं कर रही है उनको शाखा प्रबंधक पाबंद करें तथा जो सूचनाएं बकाया है वह उपलब्ध करवाने हेतु निरंतर मॉनिटरिंग कर सभी पैक्स को Go-Live करवाते हुए E-Pacs घोषित करवाए तथा डायनेमिक डे एंड करें।

समितियों के निरीक्षण के लिए कैलेंडर जारी

बालोतरा एवं बाड़मेर जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक की 20 शाखाओं के अंतर्गत संचालित 445 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के निरीक्षण के लिए गत दिनों सीसीबी प्रबंध निदेशक द्वारा वार्षिक निरीक्षण कैलेंडर भी जारी किया गया है । जिसमें सीसीबी की समस्त शाखाओं के ऋण पर्यवेक्षकों एवं सहायक अधिशासी अधिकारी को 31 मार्च 2026 तक निरीक्षण पूर्ण कर, रिपोर्ट सीसीबी प्रधान कार्यालय के देने के निर्देश भी प्रदान किए गए है ।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) गुरुवार, 15 जनवरी 2026
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

34 राज्य सहकारी बैंकों और 351 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने वर्ष 2024-25 के दरमियान जमा और ऋण में स्थिर वृद्धि दर्ज की

आरबीआई की रिपोर्ट : राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का शानदार प्रदर्शन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । देश के राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने वर्ष 2024-25 के दरमियान जमा और ऋण में स्थिर वृद्धि दर्ज की है । साथ ही इन सहकारी बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार देखने को मिला है । हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 'ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25' रिपोर्ट जारी की गई है । जिसमें वर्ष 2025 के मार्च माह के अंत तक देश में 34 राज्य सहकारी बैंक 2146 शाखाओं के माध्यम से एवं 351 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को 13825 शाखाओं के माध्यम से कार्यरत बताया गया है । इसके अलावा ये सहकारी बैंक 1.07 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां (पैक्स) के माध्यम से देश के 6.5 लाख से अधिक गावों में सेवाएं प्रदान कर रहें हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों की बैलेंश शीट 7.7 प्रतिशत बढ़कर 5.26 लाख करोड़ हो गई है । जबकि इस अवधि में जमा 6.8 प्रतिशत बढ़कर 2.74 लाख करोड़ रुपये एवं उधारी 9.5 प्रतिशत बढ़कर 1.90 लाख करोड़ रुपये हो गई, जिसमें नाबार्ड से प्राप्त पुनर्वित्त का अहम योगदान रहा।

3.0 प्रतिशत पर आया शुद्ध एनपीए अनुपात

ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25 रिपोर्ट के मुताबिक जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की बैलेंस शीट 8.1 प्रतिशत बढ़कर 8.28 लाख करोड़ रुपये हो गई। जमा 6.8 प्रतिशत बढ़कर 5.09 लाख करोड़ रुपये रही, जिसमें 40.5 प्रतिशत हिस्सा चालू और बचत (कासा) जमा का रहा। ऋण एवं अग्रिम 7.9 प्रतिशत बढ़कर 4.55 लाख करोड़ रुपये हो गए, जबकि कुल ऋण में कृषि ऋणों की हिस्सेदारी 53.6 प्रतिशत रही। वर्ष के दौरान जिला सहकारी बैंकों का शुद्ध लाभ 12.1 प्रतिशत बढ़कर 2,124 करोड़ रुपये हो गया। परिसंपत्ति गुणवत्ता में लगातार पांचवें वर्ष सुधार के साथ सकल एनपीए अनुपात घटकर 8.7 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए अनुपात 3.0 प्रतिशत पर आ गया। पूंजी पर्याप्तता अनुपात लगभग 12 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

सकल एनपीए का अनुपात घटा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 'ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25' रिपोर्ट के अनुसार, सहकारी बैंकों की ऋण एवं अग्रिम 8.6 प्रतिशत बढ़कर 3.20 लाख करोड़ रुपये हो गए, जिनमें कृषि ऋणों की हिस्सेदारी 43.4 प्रतिशत रही। वही ऋण वृद्धि, जमा वृद्धि से अधिक रहने के कारण क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात बढ़कर 116.7 प्रतिशत हो गया। परिसंपत्ति गुणवत्ता में लगातार चौथे वर्ष सुधार दर्ज किया गया, जहां सकल एनपीए अनुपात घटकर 4.8 प्रतिशत रह गया। शुद्ध एनपीए अनुपात 2.0 प्रतिशत पर स्थिर रहा। हालांकि बढ़ती परिचालन लागत के कारण लाभ में कुछ कमी आई, फिर भी 34 में से 32 राज्य सहकारी बैंक लाभ में रहे।

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बूंदी,। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड सचिव, ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक के सभी अवधिपार ऋणी इस योजना के तहत राहत पाने के पात्र है। पहले योजना का लाभ लेने के पात्र ऋणी को 31 दिसंबर 2025 तक स्वंय के हिस्से की देय राशि जमा करवाना जरूरी था। अब राज्य सरकार ने यह शर्त हटा दी है। सभी ऋणियों के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है। जो ऋणी अब तक योजना का लाभ नही ले सके है वे भी अब 31 मार्च 2026 तक अपनी राशि योजनान्तर्गत जमा कर राहत पा सकते हैं। बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी के अब तक 74 ऋणी सदस्यों द्वारा अपनी जमा योग्य राशि जमाकर 139.85 लाख की राहत का लाभ लिया जा चुका है। शेष ऋणियों से अपील की गई है कि वे भी अंतिम तिथि से पहले अपनी राशि जमा कर 01 जुलाई 2024 को बकाया अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज और वसूली खर्च में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त कर शेष मूलधन व जुलाई 2024 के पश्चात् का ब्याज जमा कर योजना लाभ ले सकतें हैं।

कॉनफैड और सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों ने लक्ष्य की 95.30 प्रतिशत पूर्ति की

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ एवं सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपभोक्ता सामग्री वितरण का लक्ष्य करीब 1516.29 करोड़ रुपए का दिया गया था । इसमें से मेडिकल व्यवसाय के लिए 307.14 करोड़ एवं अनियंत्रित उपभोक्ता सामग्री के लिए 1209.15 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है । जबकि तृतीय त्रैमास के लिए मेडिकल व्यवसाय में 230.36 करोड़ एवं अनियंत्रित उपभोक्ता वस्तुओं के लिए 906.86 करोड़ यानि 1137.22 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया । हाल ही में तृतीय त्रैमास लक्ष्यों की समीक्षा की गई । जिसके अनुसार राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ एवं सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों द्वारा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक मेडिकल व्यवसाय में 181.42 करोड़ एवं अनियंत्रित उपभोक्ता सामग्री में 1083.79 करोड़ रुपए की सामग्री वितरित की गई । इस प्रकार त्रैमास की लक्ष्य अनुरुप मेडिकल व्यवसाय की पूर्ति 78.76 प्रतिशत एवं अनियंत्रित उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति 99.51 प्रतिशत यानि कुल लक्ष्य की पूर्ति 95.30 प्रतिशत रही ।

उत्तम श्रेणी में 7 भण्डार और कॉनफैड

तृतीय त्रैमास में प्रदेश के 7 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉनफैड ने 100 प्रतिशत या इससे अधिक लक्ष्य पूर्ति की है । इसमें लक्ष्य के मुकाबले राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉनफैड द्वारा 101.89 प्रतिशत पूर्ति की गई है । इसी प्रकार बूंदी भंडार द्वारा 106.08 प्रतिशत, अलवर भंडार द्वारा 100.17 प्रतिशत, सवाई माधोपुर भंडार 122.75 प्रतिशत, धौलपुर भंडार द्वारा 110.55 प्रतिशत, झुन्झूनू भंडार द्वारा 122.59 प्रतिशत, सीकर भंडार द्वारा 123.32 प्रतिशत एवं जालोर भंडार द्वारा 109.54 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की गई है ।

संतोषप्रद श्रेणी में 18 उपभोक्ता भंडार

तृतीय त्रैमास में प्रदेश के 18 उपभोक्ता होलसेल भण्डार ने 80 प्रतिशत या इससे अधिक लक्ष्य पूर्ति की है । जिनमें बारां भंडार द्वारा 88.18 प्रतिशत, अजमेर भंडार द्वारा 90.06 प्रतिशत, ब्यावर भंडार द्वारा 98.50 प्रतिशत, भीलवाड़ा भंडार द्वारा 86.58 प्रतिशत, नागौर भंडार द्वारा 87.24 प्रतिशत, टोंक भंडार द्वारा 88.59 प्रतिशत, भरतपुर भंडार द्वारा 80.28 प्रतिशत, करौली भंडार द्वारा 90.46 प्रतिशत एवं बीकानेर भंडार द्वारा 97.97 प्रतिशत, हनुमानगढ़ भंडार द्वारा 94.23 प्रतिशत, श्रीगंगानगर भंडार द्वारा 97.24 प्रतिशत तथा दौसा भंडार द्वारा 93.09 प्रतिशत, उदयपुर भंडार द्वारा 88.34 प्रतिशत, राजसमन्द भंडार द्वारा 91.40 प्रतिशत, जोधपुर भंडार द्वारा 87.18 प्रतिशत, बाड़मेर भंडार द्वारा 83.36 प्रतिशत, सिरोही भंडार द्वारा 87.94 एवं पाली भंडार द्वारा 93.84 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की गई ।

3 भंडार की लक्ष्य पूर्ति अत्यंत कम

प्रदेश के 8 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों ने 80 प्रतिशत से कम लक्ष्यों की पूर्ति की है। इनमें कोटा भंडार द्वारा 78.70 प्रतिशत,

झालावाड़ भंडार द्वारा 65.08 प्रतिशत, चूरू भंडार द्वारा 72.32 प्रतिशत, डूंगरपुर भंडार द्वारा 27.36 प्रतिशत, बांसवाड़ा भंडार द्वारा 46.17 प्रतिशत, चित्तौड़गढ़ भंडार द्वारा 70.64 प्रतिशत, प्रतापगढ़ भंडार द्वारा 29.30 प्रतिशत, जैसलमेर भंडार द्वारा 73.23 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की गई है । हालांकि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा भंडारों की लक्ष्यों पूर्ति को अत्यंत कम है । इसके लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड उदयपुर को विशेष प्रयास कर, लक्ष्य पूर्ति करने के लिए निर्देशित किया गया है ।

सहकारिता मंत्रालय के निर्देश पर जालोर जिले की उम्मेदाबाद सहकारी समिति का किया सर्वेक्षण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव और अतिरिक्त सचिव एवं केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारिता द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत सहकारी समितियों के वार्षिक कारोबार और लाभ-हानि आंकड़ों को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल पर अद्यतन करने का अनुरोध किया गया जिसके उपरांत सहकारिता मंत्रालय की जॉइंट डायरेक्टर (एनसीडी) श्रीमती रेणू शेखावत ने एक पत्र जारी कर, 300 चयनित सहकारी समितियों के त्वरित सर्वेक्षण कर स्थान एवं विवरण का अद्यतन करने के निर्देश प्रदान किए । इसके क्रम में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी हंसराज मीणा, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर सुनील वीरभान, सहकारिता निरीक्षक श्रीमती जमना द्वारा जालोर जिले की उम्मेदाबाद ग्राम सेवा सहकारी समिति का त्वरित सर्वेक्षण किया गया । इस बारे में जानकारी देते हुए समिति व्यवस्थापक मधुसुदन शर्मा ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय द्वारादेश भर में चयनित 300 सक्रिय सहकारी समितियों का त्वरित सर्वेक्षण किया जा रहा है । उनमें उम्मेदाबाद ग्राम सेवा सहकारी समिति भी शामिल है । इस दौरान समिति अध्यक्ष नगेन्द्र कुमार, समिति सेवानिवृत्त व्यवस्थापक सूर्यप्रकाश शर्मा सहित समिति सहायक व्यवस्थापक छतराराम मेघवाल आदि मौजूद रहें ।

प्रमुख शासन सचिव और जिला कलेक्टर जैसलमेर के निर्देश पर सीसीबी प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई समीक्षा बैठक

जैसलमेर सीसीबी ने एनपीए और अवधिपार ऋण राशि की वसूली को लेकर बनाई 60 दिवसीय कार्य योजना

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जैसलमेर । जिले में स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिती यथा ऋण वितरण, ऋण वसूली, अमानतों की स्थिती एवं नाबार्ड के निर्देशानुसार कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेशियो (CRAR) की समीक्षा बैठक प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई । इसमें सीसीबी की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन करने के साथ 'राज्य सरकार से प्राप्ति योग्य ऋण माफी का लंबित भुगतान' आदि बिन्दुओं पर समीक्षा की गई । जिसमें सीसीबी प्रशासक से प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को लंबित भुगतान जारी करवाने हेतु निवेदन करने के साथ-साथ फरवरी 2026 में सीसीबी की वार्षिक साधारण सभा की बैठक आयोजित कर बैंक के शेयर कैपिटल में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया । इसके अलावा ऋण वितरण एवं ऋण वसूली के मामले में सीसीबी अधिकारियों एवं कर्मचारी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 के अन्तर्गत धारा 99 और 100 के अंतर्गत कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया । जिस पर प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये । हालांकि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा के अंतर्गत कार्यवाही करने की 60 दिवसीय योजना सीसीबी द्वारा बनाई गई है । जिसमें जनवरी माह के अंतिम दो सप्ताह में धारा 99 अंतर्गत नोटिस जारी करने, फरवरी माह के दो सप्ताह में ऋणी सदस्यों की विभिन्न मीडिया संसाधनों से सूचना सार्वजनिक करने और फरवरी के अंतिम दो सप्ताह में धारा 100 के तहत कुर्की, विक्रय/ बैंक द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही करने जैसी योजना शामिल है ।

100 करोड़ का एनपीए और 250 करोड़ अवधिपार

जैसलमेर सीसीबी का सकल एनपीए 100 करोड़ से अधिक है, इसमें सहकार किसान कल्याण योजना में 80 करोड़ एवं कृषक मित्र ऋण योजना में 20 करोड़ का एनपीए है जो कि जैसलमेर जिले के 2500 सीमांत एवं वृहद कृषक, जिनकी जोत 1 हैक्टर से अधिक हैं, में पिछले पांच वर्षों से बकाया चल रही है । इसके कारण बैंक की वित्तीय स्थिती एवं साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । इसके अलावा 250 करोड़ से अधिक अल्पकालीन फसली ऋण अवधिपार चल रहा है । इन कारणों से सीसीबी को नाबार्ड से वित्तीय पुर्नभरण प्राप्त नहीं हो रहा है । इसी के चलते बैंक अमानतदारों को भुगतान करने में भी दैनिक तरलता का अभाव होने के कारण समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है ।

बचत खातों पर लगाई जाएगी रोक

अल्पकालीन फसली ऋण अवधिपार होने की स्थिति लघु कृषक की सीमा अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सिबिल में अवधिपार राशि की सूचना दी जाएगी, इसके कारण संबंधित ऋणी के किसी अन्य भी बैंक में लिये गये फसली अथवा गैर फसली ऋण पर ब्याज दर में बढोतरी या पूर्ण वसूली संभव है । चूंकि अल्पकालीन फसली ऋण जनआधार से लिंक है। इसलिए संबंधित ऋणी सदस्यों के जैसलमेर सीसीबी से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत लाभावन्ति बचत खातों पर रोक लगाई जाएगी ।

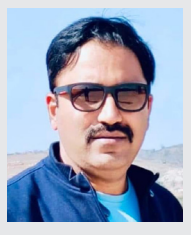

सभी अवधिपार एवं एनपीए ऋणी सदस्यों से आग्रह किया जाता हैं कि वे अपने ऋण की अवधिपार एवं एनपीए ऋण राशि बैंक की निकटतम शाखा में जमा करावें, अन्यथा किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए ऋणी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

-ओमपालसिंह भाटी, प्रबंध निदेशक
जैसलमेर सीसीबी

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक प्रकाश वैष्णव के लिए वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।